न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–01 केकड़ी जिला–अजमेर।

पीठासीन अधिकारी	–	जयमाला पानीगर, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	–	28/2020.
सी.आई.एस. नंबर	–	21/2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	333/2018 पुलिस थाना केकड़ी.
सी.एन.आर. नंबर	–	RJAJ130004332020

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, केकड़ी, जिला–अजमेर।

ब ना म

धनराज पुत्र सौभाग आयु 24 वर्ष, निवासी छोटी पथराज खुर्द, पुलिस थाना टोडारायसिंह, जिला–टोंक (राज.).

...अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 363, 366–ए भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः–

1. अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य
2. श्री लतीफ मौहम्मद, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त.

:: **नि र्ण य** :: **दिनांकः 18 मार्च 2026**

01– निपुण सक्सेना व अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य 2019(2) एसएससी 703 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में पीडिता एवं उसके निकट संबंधियों का नाम, उनकी पहचान को गुप्त रखने के प्रयोजन से नहीं लिखा जा रहा है। पीडिता को काल्पनिक नाम

''एक्स'' नाम से संबोधित किया जा रहा है।

02– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.08.2018 को परिवादिया/पीडिता ''एक्स'' के पिता ने पुलिस थाना केकड़ी पर उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह दिनांक 05.08.2018 को जानवरों को चराने के लिए खेत पर गया हुआ था। उसके घर पर उसकी नाबालिग लड़कियां आयु करीबन 17 व 10 वर्ष दोनों घर पर थी, तभी मुलजिम धनराज पुत्र शौभाग व उसके साथ 2–3 अन्य व्यक्ति दिन में करीबन 1:30–2:00 बजे सफेद रंग की कार लेकर आए और अनाधिकृत रूप से घर में घुसकर प्रार्थी की लड़की ''एक्स'' को जबरन अपहरण कर भगाकर ले गए, जो मुलजिम के कब्जे में है, जिसकी जानकारी मौके पर मौजूद उसकी अन्य पुत्री ने खेत पर आकर उसे दी। प्रार्थी अपनी पुत्री ''एक्स'' को तलाश करते हुए मुलजिम के गांव पथराज गया, वहां से मुलजिम ने प्रार्थी को डरा–धमकाकर भगा दिया। मुलजिम ने प्रार्थी की लड़की को जबरन बंधक बनाकर घर पर रखा हुआ है तथा उसने धमकी दी कि उसने परिवादी की लड़की को पत्नी बना लिया है, इसलिए मिलने नहीं देगा तथा जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी को लड़की को मुलजिमान अपहरण कर ले गए हैं, बंधक बना रखा है और उसके साथ खोटा काम कर रहे हैं, आदि।

03– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना केकड़ी द्वारा एफ.आई.आर. संख्या–333/2018 अन्तर्गत धारा 363, 366–ए भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त धनराज के विरूद्ध धारा 363, 366–ए भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–एक केकड़ी, जिला–अजमेर के न्यायालय में पेश किया। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–एक, केकड़ी, जिला–अजमेर द्वारा प्रकरण में बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्त धनराज के विरूद्ध धारा 363, 366–ए भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया व धारा 366–ए भारतीय दण्ड संहिता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण में बहस कमिटल सुनी जाकर प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया गया।

04– अभियुक्त धनराज के न्यायालय में उपस्थित आने पर बहस चार्ज सुनी

गई। अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 363, 366–ए भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध आरोप सुन व समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

05– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नाकिंत साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गईः–

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण
पी.ड.–01	हीरालाल	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
पी.ड.–02	ललता	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
पी.ड.–03	नर्बदा	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
पी.ड.–04	''एक्स'' पीडिता	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
पी.ड.–05	हजारीलाल	ताईद अनुसंधान
पी.ड.–06	रामप्यारी	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.

06– अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाएः–

प्रदर्श मार्क संख्या	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
प्रदर्श पी–01	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी–02	चाक एफ.आई.आर.
प्रदर्श पी–03	पीडिता ''एक्स'' के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान
प्रदर्श पी–04	फर्द दस्तियाबी पीडिता ''एक्स''
प्रदर्श पी–05	मेडिकल रिपोर्ट पीडिता ''एक्स''
प्रदर्श पी–06	पीडिता''एक्स''को बालिका गृह में भिजवाए जाने बाबत् तहरीर
प्रदर्श पी–07	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त धनराज
प्रदर्श पी–08	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त धनराज
प्रदर्श पी–09	फर्द नक्शा–मौका घटनास्थल
प्रदर्श पी–10	नोटिस धारा 41 क दं.प्र.सं. वास्ते अभियुक्त धनराज

07– अभियोजन की साक्ष्य समाप्ति पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का स्पष्टीकरण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत अभियुक्त से लिया गया तो

अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना तथा स्वयं को झूठा फंसाए जाने का कथन किया एवं प्रतिरक्षा में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

08– बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे।

09– इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी गवाहान के द्वारा साक्ष्य नहीं दी है कि अभियुक्त पीडिता को भगा कर ले गया बल्कि पीडिता स्वयं अपनी मर्जी से कहीं चली गई थी। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं है। अतः निवेदन है कि अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

10– उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

1. आया अभियुक्त धनराज ने दिनांक 05–08–2018 को समय दिन में 1.30–2.00 बजे के लगभग पुलिस थाना केकड़ी के क्षेत्राधिकार में ग्राम मानखण्ड स्थित परिवादी हीरालाल के रिहायशी मकान से उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री ''एक्स'' को स्वयं के साथ विवाह करने हेतु विवश करने के आशय से उसे परिवादी की विधिपूर्ण सरंक्षकता से जबरन अपहरण कर ले गए ?
2. यदि हां तो उसकी सजा क्या होगी ?

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या–01</u>

11– अभियुक्त धनराज के विरूद्ध धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित सघटक साबित करने हैं–

- **अपहरण–** भारत की सीमा से या वैद्य संरक्षता से किसी को ले जाना।
- **नाबालिग/विकृतचित व्यक्ति–** यदि पीडित 16 वर्ष से कम आयु की लडकी, 18 वर्ष से कम आयु का लडका या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है, तो उनकी या उनके संरक्षक की सहमति मायने नहीं रखती है।

- **संरक्षक की सहमति के बिना–** संरक्षक की सहमति या तो नहीं ली गई या फिर धोखे से ली गई हो।
- **इरादा–** इसमें व्यक्ति को ले जाना ही अपराध माना जाता है, चाहे उद्धेश्य कुछ भी हो।

12– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर आरोपित अपराध को साबित करने के लिए कुल 06 गवाहान के बयान लेखबद्ध कराए हैं, जिन पर विचार किया जावे तो गवाह **पी.ड.–01 हीरालाल** ने साक्ष्य दी है कि आज से करीबन 05 साल पहले की घटना है। वह अपने खेत पर बकरियां चराने गया था। उसके घर पर उसकी पुत्री ललता व फोरन्ता घर पर थी। ललता ने आकर उसे बताया किया फोरन्ता को एक सफेद कार में धनराज जोर जबरदस्ती कार में बैठाकर ले गया। हम ढूंढते–ढूंढते ग्राम छोटी पथराज गए जहां पर धनराज मिला। धनराज ने कहा कि उसकी पुत्री को वही रखेगा तथा धमकी दी कि यहां से चले जाओं वरना मार दूंगा तथा हमें फोरन्ता से मिलने नहीं दिया। फोरन्ता को धनराज अपनी पत्नी बनाने के लिए ले गया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाने पर दी थी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–02 है, जिन पर उसकी अंगूठा निशानी है।

13– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मुझे पता नहीं है कि मेरी पुत्री व मुलजिम के बीच प्रेम संबंध हो। मेरी पुत्री की आयु घटना के समय 17 साल की थी। मैं अपनी पुत्री की शादी धनराज से ही करना चाहता था, लेकिन थोडा लेट करना चाहता था। यह सही है कि मैंने मेरी पुत्री की आयु के संबंध में कोई दस्तावेज पुलिस को नहीं दिए। यह सही है कि मेरी पुत्री धनराज के साथ ही रह रही है तथा उसकी एक बच्ची है।

14– **गवाह पी.ड.–02 ललता** ने आपके विरूद्ध साक्ष्य दी है कि आज से करीबन 05 साल पहले दोपहर 02 बजे के लगभग वह और उसकी बहन फोरन्ता घर पर थे। उस समय धनराज व दो व्यक्ति सफेद रंग की कार में आए तथा उसकी बहन फोरन्ता को गाडी में डाल कर ले गए। उसके पिता बकरियां चराने गए थे, उसने उनको जाकर उक्त सारी बातें बताई। वह धनराज को जानती है क्योंकि वह पहले आता था।

15– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह के कथन किया कि यह सही है कि मेरी बहन व धनराज के बीच पहले से बोलचाल था। मुझे पता नहीं है कि मेरी बहन धनराज के साथ चली गई हो। यह सही है कि मेरी बहन धनराज के साथ रह रही है तथा जब धनराज मेरी बहन को लेकर गया उस समय कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं हुए। यह कहना गलत है कि धनराज मेरी बहन को राजीखुशी ले गया हो तथा मैं न्यायालय में झूठे बयान दे रही हूं।

16– **गवाह पी.ड.–03 नर्बदा** ने आपके विरूद्ध साक्ष्य दी है कि आज से करीबन 05 साल पहले दिन के दो–ढाई बजे की घटना है। वह खेत पर चली गई थी तथा उसके पति बकरियां चराने चले गए थे। उसकी पुत्री फोरन्ता व ललता घर पर थी। ललता ने आकर हमें बताया कि धनराज व उसके साथ 2–4 व्यक्ति सफेद गाडी में आए और फोरन्ता को जबरदस्ती उठाकर गाडी मे डालकर ले गए। उस समय फोरन्ता की उम्र 15–16 साल थी। वह उसके पति व ललता ग्राम छोटी पथराज धनराज के यहां पर गए। धनराज ने कहा कि उसने फोरन्ता को जबरदस्ती पत्नी बना कर रख लिया है तथा उन्हें फोरन्ता से मिलने नहीं दिया।

17– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह के कथन किया कि यह सही है कि मैने धनराज को फोरन्ता को ले जाते हुए नहीं देखा। यह कहना गलत है कि धनराज हमारे घर पर आता जाता था तथा फोरन्ता की सगाई धनराज के साथ की हो। यह सही है कि फोरन्ता अभी भी धनराज के साथ रह रही है, जिससे उसके एक लडकी है। यह कहना गलत है कि हम फोरन्ता की दूसरी जगह शादी करना चाहते हों, इसलिए यह मुकदमा दर्ज किया हो।

18– **गवाह पी.ड.–04 फोरन्ता** ने आपके विरूद्ध साक्ष्य दी है कि आज से करीबन 06 वर्ष पूर्व की घटना है। उसके पिता का नाम हीरानन्द व माता का नाम नर्बदा है। उसके माता–पिता उसकी शादी दूसरे के साथ करना चाहते थे तथा वह दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। वह धनराज के साथ शादी करना चाहती थी इसलिए धनराज के साथ उसकी इच्छा से चली गई थी। उसने अपने मां–बाप को नही बताया कि वो धनराज के साथ जा रही है। वह धनराज के साथ इसलिए गई कि वह धनराज के साथ शादी करना चाहती थी। उसके कोर्ट में बयान हुए थे। कोर्ट बयान

प्रदर्श पी–03 है, फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी–04 है। पुलिस वालों ने उसका मेडिकल कराया था, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–05 है, जिन पर उसकी अंगूठा निशानी है।

19– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह के कथन किया कि यह सही है कि मैं धनराज के साथ राजीखुशी गई थी तथा रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 माता–पिता ने मेरी मर्जी के खिलाफ दर्ज कराई थी। यह सही है कि मैं जब से गई हूं तब से आज तक धनराज के साथ ही रह रही हूं।

20– **गवाह पी.ड.–05 हजारी लाल** ने आपके विरूद्ध साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 07.08.2018 को थाना केकडी पर एएसआई पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 333/2018 अन्तर्गत धारा 363, 366–ए भारतीय दण्ड संहिता में प्रकरण दर्ज होकर वास्ते अनुसंधान उसे प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। दिनांक 16.08.2018 को पीडिता फोरन्ता स्वयं थाने पर उपस्थित हुई थी, जिसकी फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी–04 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान, एक्स स्थान पर फोरन्ता की अंगूठा निशानी तथा ई से एफ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 16.08.2018 को पीडिता फोरन्ता का उम्र संबंधी मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी–05 कराया गया तथा फोरन्ता नाबालिग होने से उसे बालिका गृह विभाग, अजमेर को सुपुर्द किया गया, जो प्रदर्श पी–06 है। अभियुक्त धनराज को जरिए फर्द प्रदर्श पी–07 गिरफतार किया गया तथा अभियुक्त धनराज ने धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी–08 दी कि''मेरे द्वारा फोरन्ता का अपहरण किया वह स्थान मैं चलकर बता सकता हूं।'' उक्त इत्तला के आधार पर तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी–09 बनाया गया, जिन पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ अभियुक्त धनराज तथा जी से एच भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त धनराज को धारा 41ए का नोटिस प्रदर्श पी–10 दिया गया, जिस पर ए से बी भाग पर अभियुक्त तथ सी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण अनुसंधान से आरोपी धनराज के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 363, 366–ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर पत्रावली एसएचओ साहब को सुपुर्द की।

21– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह के कथन किया कि यह सही है कि

तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी–04 पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नही है, गवाह ने फिर कहा कि स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं था, तथा प्रदर्श पी–09 बनाने गए जिसकी आमद रवानगी पत्रावली पर नहीं है। मुझे आज याद नहीं है कि मुझे फोरन्ता ने बताया किया नहीं कि धनराज उसे कहां ले गया।

22– **गवाह पी.ड.–06 रामप्यारी** ने आपके विरूद्ध साक्ष्य दी है कि वह ग्राम छोटी पथराव में रहती है। पुलिस वालों ने दिनांक 16.08.2018 को उसके समक्ष फोरन्ता को जरिए फर्द प्रदर्श पी–04 दस्तयाब किया था, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है।

23– यह गवाह अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। **अभियोजन पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी–04 पर उसकी अंगूठा निशानी है। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी–04 पर उसके हस्ताक्षर थाने पर खाली कागज पर कराए थे।

24– उपरोक्त वर्णित साक्ष्य पर विचार किया जाए तो **गवाह पी.ड.–01 हीरालाल** ने साक्ष्य दी है कि धनराज उसकी बेटी को लेकर गया था। गवाह **पी.ड.–02 ललता** के द्वारा साक्ष्य दी है कि उसकी बहन को धनराज गाडी में बैठा कर ले गया था, हालांकि ये दोनो गवाह बचाव पक्ष की जिरह में स्थिर नहीं रहे है तथा गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री व बहन की उम्र के संबंध में कोई कागज पेश नहीं किए। इसी तरह से **गवाह पी.ड.–03 नर्बदा** के द्वारा साक्ष्य दी है कि ललता ने उसको आकर बताया कि उसकी बहन को तीन–चार व्यक्ति जबरदस्ती गाडी में डालकर ले गए हैं तथा बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने स्थिति को स्वीकार किया है कि उसने पीडिता एक्स को ले जाते हुए नहीं देखा। **गवाह पी.ड.–04 पीडिता "एक्स"** के द्वारा साक्ष्य दी है कि वो अपनी मर्जी से धनराज के साथ चली गई थी, क्योंकि उसके पिता दूसरी जगह उसकी शादी करना चाहते थे तथा बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके माता पिता ने उसकी इच्छा के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तथा वो आज धनराज के साथ राजीखुशी रह रही है। **गवाह पी.ड.–05 हजारी लाल** के द्वारा अनुसंधान के संबंध में साक्ष्य दी है। **गवाह पी.ड.–06 रामप्यारी** ने साक्ष्य दी है कि उसके सामने पीडिता एक्स को दस्तयाब

करके नहीं लाए थे। यह गवाह अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुई है, लेकिन गवाह ने फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी–04 पर अंगूठा निशानी होना बताया है।

25– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो परिवादी हीरालाल के द्वारा अभियुक्त धनराज के विरूद्ध तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 दर्ज करवाई जिसमें धनराज द्वारा उसकी पुत्री को जबरन अपहरण कर ले जाना बताया है। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–02 है। पीडिता एक्स के बयान धारा 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी–03 मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध किए गए थे, जिसका अवलोकन किया जाए तो पीडिता के द्वारा बताया गया है कि मुझे कोई उठा कर नहीं ले गया था, मैने ही धनराज को बुलाया था तथा धनराज ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। मेरी सगाई 12 महीने पहले धनराज के साथ हुई थी तथा उसके माता–पिता उसकी सगाई दूसरी जगह करना चाहते थे। पीडिता एक्स दिनांक 16.08.2018 को स्वयं पुलिस थाना केकडी में उपस्थित हुई तथा फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी–04 बनाई गई। पीडिता के द्वारा स्वयं का मेडिकल प्रदर्श पी–05 करवाने बाबत् सहमति दी गई, जिसमें पीडिता की आयु 20 वर्ष बताई गई है तथा एक्सरे की राय दी गई है। पीडिता को बालिका गृह अजमेर में जरिए प्रदर्श पी–06 भेजा गया। अभियुक्त धनराज को जरिए फर्द प्रदर्श पी–07 गिरफ्तार किया गया। दौराने हिरासत अभियुक्त के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी–08 दी है कि ''मैं पीडिता को उसके गांव मानखण्ड से रोड से बहला फुसलाकर ले गया था, वह जगह मैं साथ चलकर बता सकता हूं।'' उक्त इत्तला के आधार पर नक्शा मौका प्रदर्श पी–09 तस्दीक किया गया। अभियुक्त धनराज को धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस प्रदर्श पी–10 दिया गया। अभियुक्त की इत्तला के आधार पर पीडिता को दस्तयाब किया गया था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त धनराज के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के अतिरिक्त ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जो ये दर्शित कर सके कि अभियुक्त के द्वारा पीडिता को जबरन उसके वैध संरक्षक की अनुमति के बिना अपहरण करके ले गया हो तथा केवल मात्र अभियुक्त के द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

26— अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित समस्त साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि अभियुक्त धनराज ने पीडिता एक्स को अपने साथ चलने के लिए उत्प्रेरित किया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप साबित करने में असफल रहा है।

अपराध अन्तर्गत धारा 366—ए भारतीय दण्ड संहिता

27— अभियुक्त धनराज के विरूद्ध धारा 366ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित सघटक साबित करना है।

- पीडित नाबालिग थी (18 वर्ष के कम आयु)
- अभियुक्त ने पीडिता को उसके कानूनी अभिभावकों को छोडने के लिए प्रेरित या विवश किया।
- अभियुक्त का इरादा पीडिता को अवैध यौन संबंध या विवाह के लिए मजबूर किया या बहकाया।

28— न्यायालय को यह देखना है कि पीडिता घटना के समय नाबालिग थी तथा अभियोजन पक्ष ने पीडिता के नाबालिग होने के संबंध में क्या साक्ष्य पेश किए। हस्तगत प्रकरण में डॉ. तारैश कुमार जैन रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा पीडिता एक्स की आयु बाबत् एक्सरे लिया गया है। पत्रावली पर पीडिता की एक्सरे प्लेट उपलब्ध है, लेकिन सुयोग्य अभियोजन अधिकारी ने गवाह डॉ. तारैश कुमार जैन बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित नहीं करवाया तथा गवाह को तर्क कर दिया, जिस कारण पत्रावली पर उपलब्ध एक्सरे प्लेट तथा बाद एक्सरे दी गई रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं हो पाई। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में यह असमर्थ रहा है कि घटना के समय पीडिता नाबालिग थी (18 वर्ष के कम आयु)। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि घटना के समय पीडिता एक्स की आयु 18 वर्ष से कम थी। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष यह भी साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार का प्रलोभन/इरादा का कोई सबूत नहीं है ना ही अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ किसी प्रकार का यौन संबंध साबित किया है। अतः प्रलोभन का अभाव, यौन इरादा, पीडिता की आयु साबित नहीं होने के कारण अभियुक्त धनराज के विरूद्ध अपहरण का अपराध साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा है।

अभियोजन पक्ष अभियुक्त धनराज के विरूद्ध धारा 366–ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध साबित करने में असफल रहा है।

29– अतः उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त धनराज के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 363 व 366–ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

:: आ दे श ::

30– अतः **अभियुक्त धनराज** पुत्र सौभाग, आयु–24 वर्ष, निवासी–छोटी पथराज खुर्द, पुलिस थाना–टोडारायसिंह, जिला–टोंक (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 333 व 366–ए भारतीय दण्ड संहिता हेतु सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करार दिया जाता है।

31– चूंकि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं हुआ है। अतः पीडिता को पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर राशि दिलाए जाने हेतु अनुशंषा नहीं की जाती है।

32– अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण में अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत् 25,000–25,000/–रूपये के जमानत, मुचलके न्यायालय में पेश करे।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–01, केकड़ी, जिला अजमेर।

33– निर्णय व आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

RAJENDERA NIRWAN
Steno Gr. I "Authenticate Document" Digitally signed by RAJENDERA NIRWAN Date: 2026.03.18 16:19:10 +0530

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–01, केकड़ी, जिला अजमेर।

– – – – –